संख्या- 169 /2021 / 1832 /चार-2021

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 20 अक्टूबर, 2021**

विषय:-मेरठ स्थित स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय भवन एवं वीथिकाओं का उच्च स्तरीय मानकों के अनुरूप सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- 665/उ0प्र0सं0नि0-5(106)/2020-21 दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- मेरठ स्थित स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय भवन एवं वीथिकाओं का उच्च स्तरीय मानकों के अनुरूप सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या- 35 /2021 / 490 /चार-2021 दिनांक 09 मार्च, 2021 द्वारा रू0 172.99 लाख की प्रशासकीय एवं 86.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेरठ स्थित स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय भवन एवं वीथिकाओं का उच्च स्तरीय मानकों के अनुरूप सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 86.49 लाख (रूपये छियासी लाख उनचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

4- प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) शासनादेश संख्या- 35 /2021 / 490 /चार-2021 दिनांक 09 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) संग्रहालय निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संग्रहालय निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संग्रहालय निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति संग्रहालय निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

5- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 92- आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2205- कला एवं संस्कृति -03- अधिष्ठान -42 अन्य व्यय, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय लखनऊ मद के नामे डाला जायेगा।

6- उक्त स्वीकृति प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

संख्या- 169 /2021 / 1832 (1) /चार-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- परियोजना प्रबंधक, यूनिट-7, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) मेरठ।
5- संग्रहालयाध्यक्ष, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मेरठ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in